

17/7/17 पत्रावली का प्रमाण के लिये अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
बाकी कला नष्ट हुई। पुलका, खारिज
किया जा चुका है। इसलिये इस कोर्ट में जमानत
में प्रमाण का कालांतर का कोई दायित्व
नहीं रह सकता। इस कोर्ट के खारिज
किया जाता है पत्रावली के लिये
अमानत के दायित्व अफसर को।

सहायक फौजदार
चौधरी

जमानत

अदालत